	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
सत्यमेव जयते	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	चैत्र 27, शुक्रवार, *शाके* 1948- अप्रेल 17, 2026 Chaitra 27, Friday, Saka 1948- April 17, 2026	

भाग 6 (ख)

जिला बोर्डो, परिषदों एवं नगर आयोजना संबंधी, विज्ञप्तियां आदि

नगरीय विकास विभाग

अधिसूचना

जयपुर, अप्रेल 04, 2026

संख्या प.12(04)नविवि/मूलसागर(जैसलमेर)/2025 :-राजस्थान नगर सुधार अधिनियम 1959 राजस्थान अधिनियम सं. 35 सन् 1959 की धारा 32 उपधारा (1) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, एतद् द्वारा घोषित करती है कि नगर विकास न्यास, जैसलमेर की प्रस्तावित फार्म हाउस योजना बनाने का निर्णय लिया गया। इस योजना में राजस्व ग्राम मूलसागर के खसरा संख्या 13 रकबा 23.9707 हैक्टेयर व खसरा संख्या 14 रकबा 24.1082 हैक्टेयर अर्थात कुल 48.0789 हैक्टर भूमि शामिल है। इस योजना की सीमायें निम्नानुसार है:-

उत्तर:- खसरा संख्या 11, 12, 14/290, 13/289 व 13/313

दक्षिण:- खसरा संख्या 17 व 70

पूर्वः- खसरा संख्या 73

पश्चिमः- खसरा संख्या 15

उपरोक्त योजना क्षेत्र का विवरण और उसका नक्शा नगर विकास न्यास जैसलमेर के कार्यालय में उपलब्ध है तथा किसी भी कार्य दिवस में 3:00 बजे से 5:00 बजे तक देखा जा सकता है। इस योजना का अनुमानित क्षेत्रफल 48.0789 हैक्टर है।

उक्त अधिसूचना राजस्थान राजपत्र में प्रकाशन तिथि से 6 माह तक प्रभावशाली रहेगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

रवि विजय,
शासन उप सचिव-प्रथम।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।